<u>प्रश्न संख्याः 2(1)54</u> <u>द्वारा : श्री राकेश चौहान, मा0 पार्षद</u>

क्रम	प्रश्न	उत्तर
संख्या		
क)	क्या आयुक्त महोदय बतलाऐंगे कि शिमला शहर में बिजली की मेन लाईने स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत underground की जा सकती है? यदि की जा सकती है तो इन बिजली की मेन लाईनों को कब तक underground किया जाएगा? पूर्ण ब्यौरा सदन पटल पर रखें।	The project of providing common underground duct for utilities like water pipelines telephone cables electrical cables etc. from CTO to Shimla Club was allotted to SJPNL during Oct 2019. However proving common duct was not found feasible by SJPNL. However, now HPSEBL, has been requested to work out the proposal/ feasibility of underground electricity cables in Lower Bazar area under Shimla Smart City Mission. The timelines can be defined by HPSEBL once the feasibility is worked out be them.

श्री राकेश चौहान, माO पार्षद ने कहा कि जहां पर सम्भव हो वहां पर बिजली की लाईनों को भूमिगत किया जाए। बर्फ के दौरान पेड़ों के टुटने व बर्फ के भार से बिजली की तारें टूटती है और काफी समय बिजली अवरूद्ध रहती है।

श्रीमती कुसुम सदरेट, मा0 पार्षद ने कहा कि बिजली के पोल जो नगर निगम की भूमि पर लगे हैं उन पोलों में JiO की तारे लगाई जा रही है और जिसका पैसा विद्युत विभाग लेता है। विद्युत विभाग जब बिजली के पोलों पर JiO की तारे लगाने का पैसा ले रहा है तो नगर निगम को भी इसका पैसा मिलना चाहिए क्योंकि बिजली के पोल नगर निगम की भूमि पर ही लगे हैं। घरों के सामने तारों का जाल नहीं होना चाहिए। श्री राकेश कुमार शर्मा, माO पार्षद ने कहा कि बिजली के जो पोल शहर में लगते हैं उसके पैसे भी नगर निगम द्वारा दिए जाते हैं। इसलिए इन खम्बों पर लगी JiO की तारों के पैसे नगर निगम शिमला को ही मिलने चाहिए | श्री राकेश चौहान, माO पार्षद ने कहा कि कई जगह पर पार्किंगों के साथ JiO वालों ने पोल लगा दिए हैं जिसके कारण पार्किंगों में गाडियां लगाने में कठिनाइ होती है। श्री विवेक शर्मा, मा0 पार्षद ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत जो बिजली की तारों को भूमिगत करने का कार्य है वह सभी वार्डों में होना चाहिए कोई भी वार्ड छूटना नहीं चाहिए । श्री पूरन मल, मा0 पार्षद ने कहा कि कई जगह पर जहां स्ट्रीट लाईटें लगनी है परन्तु वहां पर पहले ही बिजली का पोल लगा होता है जिसकी वजह से वहां पर दूसरा पोल नहीं लग सकता है। इसलिए बिलजी के खम्बों पर ही स्ट्रीट लाईटें लगाई जाए। विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि जहां पर सम्भव हो वहां पर स्मार्ट सिटी के माध्यम से बिजली की तारों को भूमिगत किया जाए और विद्युत विभाग के अधिकारी को सदन की बैठक में बुलाया जाए।

प्रश्न संख्याः 2(2)55

<u>द्वाराः श्री संजीव सूद, मा0 मनोनीत पार्षद</u>

क्रम	प्रश्न	उत्तर
संख्या		
क)	क्या आयुक्त महोदय बतलाऐंगे कि	सूचना एकत्रित की जा रही है।
	नगर निगम शिमला द्वारा कितने भवनों	
	को अनसेफ घोषित किया गया है और	
	इनमें से कितने भवनों के बिजली व	
	पानी के कुनैक्शन कटवाये गए है?	
	जिन अनसेफ भवनों में आज भी	
	दुकानें/व्यवसाय चल रहा है उन पर	
	क्या कार्यवाही की गई है? पूर्ण ब्यौरा	
	सदन पटल पर रखें।	

श्रो संजीव सूद, माO पार्षद ने अनुपूरक प्रश्न में कहा कि RTI activist श्री पवन कुमार बन्टा और श्री ऑम प्रकाश जिनके द्वारा मकानों में अवैध निर्माण किया हुआ है उनके मकान नगर निगम शिमला द्वारा क्यों नहीं तोड़े जा रहे हैं? आयुक्त ने सदन को अवगत करवाया कि इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

<u>प्रश्न संख्याः 2(3)56</u> <u>द्वारा : श्रीमती सिमी नंदा, मा0 पार्षद</u>

क्रम	प्रश्न	उत्तर
संख्या		
क)	What is the progress of action taken for meeting long outstanding demand of providing essential amenities of sewerage connectivity to the residents of Kainth Estate Lower phagli, Shimla? will the authorities in the MC Shimla/SJPNL indicate the time limit for doing the needful in view of initiation of action at their level in a very casual manner thereby making the provision of the MC Act and other laws defunct?	Regarding Sewerage connectivity to the residents of Kainth Estate Lower Phagli, the work has been awarded to the contractor by the sewerage department. There is dispute of land at site. The notice under section 269 (3) of HP MC act has already been issued to the objector. SJPNL Sewerage Sub-Division is in the process to initiate the further action against the objector with the approval of worthy Commissioner as per MC Act. The work will be completed only after the settlement of the dispute. The time line in question cannot be defined in land disputes.

आयुक्त ने सदन को अवगत करवाया इस मामले में मौका पर कुछ Land dispute है और उन्हें नोटिस भी जारी कर दिया गया है। श्रीमती सिमी नंदा, माO पार्षद ने कहा कि इस सम्बन्ध में दो पक्षों को बुला कर इस मामले का सौहार्दपूर्ण (amicably) ढंग से समाधान किया जाए। <u>प्रश्न संख्याः 2(4)57</u>

द्वारा : श्रीमती कमलेश मेहता, मा0 पार्षद

क्रम	प्रश्न	उत्तर
संख्या		
क)	क्या आयुक्त महोदय बतलाऐंगे कि ढिंगू धार में	ढिंगू धार में टैंक बनाने का कार्य प्रगति पर
	जो पानी का टैंक बन रहा है उस का अभी तक	है। नीव का कार्य चल रहा है। यह टैंक
	कितना कार्य हुआ है और कब तक यह टैंक बन	31.03.2021 तक तैयार हो जाएगा।
	कर तैयार होगा? पूर्ण ब्यौरा सदन पटल पर	
	रखें।	

श्रीमती कमलेश मैहता, माठ पार्षद ने अनुपूरक प्रश्न में कहा कि यह कार्य कब होगा और अभी तक मौका पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। आयुक्त ने सदन को अवगत करवाया कि इस मामले में एक सप्ताह के भीतर AGM water supply SJPNL सम्बन्धित माठ पार्षद के साथ मौका का निरीक्षण करेंगे और सदन की अगली बैठक में कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

प<u>्वाईट ऑफ ऑर्डर</u>

5(1) श्री विवेक शर्मा, माo पार्षर ने प्वाईंट ऑफ ऑर्डर का मामला उठाते हुए कहा कि WOW में टिक्ट की किमत कौन तय करेगा। क्योंकि लिफ्ट से भी अभी तक नगर निगम को

कोई शेयर नहीं मिला है। आयुक्त ने सदन को अवगत करवाया कि यह निःशुल्क है और इस Show को लोगों द्वारा चलते हुए देखा जाएगा।

5(2) श्री संजीव ठाकर, मा0 पार्षर ने प्वाईंट ऑफ ऑर्डर का मामला उठाते हुए कहा कि नगर निगम में कितने कनिष्ठ अभियन्ता है? अधिशाषी अभियन्ता, मार्ग एवं भवन विभाग ने सदन को अवगत करवाया कि नगर निगम शिमला के मार्ग एवं भवन विभाग में 12 कनिष्ठ अभियन्ता हैं। मा0 पार्षद ने कहा कि सभी कनिष्ठ अभियन्ताओं को बराबर-बराबर वार्ड करके उन वार्डों का कार्य दिया जाए। आयुक्त ने अधिशाषी अभियन्ता, मार्ग एवं भवन विभाग को निर्देश दिए कि इस मामलें को examine कर लिया जाए।

> आयुक्त, नगर निगम शिमला।